10-10-2014 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।

प्रकरण खात्मा कार्यवाही के साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी अकलसिंह तेकाम सूचना उपरांत साक्ष्य हेतु उपस्थित है।

कसे डायरी का अवलोकन किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, बैहर, जिला बालाघाट एवं अति.पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट द्वारा खात्मा कार्यवाही हेतु अनुशंसा बाबत् पत्र केस डायरी के साथ संलग्न है। सूचनाकर्ता साक्षी क्रमांक—1 अकलिसंह तेकाम के खात्मा कथन लेखबद्ध किया गया।

उक्त साक्षी ने खात्मा कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतएव मामले की प्रकृति को देखते हुये खात्मा कार्यवाही स्वीकृत की जाती है।

केस डायरी वापस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

THE PAY PRIENT OF THE PAY OF THE (सिराज अली)